| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>राजस्व आवेदन संख्या 239 / 2022 अनवान इन्दूदेवी बनाम अशोक कुमार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 25/11/22 | **आदेश**<br>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए है आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकरतफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्य 418 / 135 रकबा 6.6368 हैक्टयर भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।<br>वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत होता है।<br>अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्य 418 / 135 रकबा 6.6368 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बाड़मेर | |